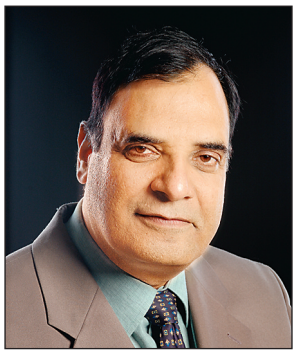

आलोक मेहता

कुतर्क की राजनीति

राजनीति जितना गलत कराए, कहलाए वह कम ही समझा जाए। तर्क से अधिक वितर्क नेताओं को भाता है। टेलीविजन क्रांति ने इस फार्मूले से जमीनी लड़ाई को 'बक्सा लड़ाई' में परिणित कर दिया है। तभी तो राज्य सभा टीवी के एक कार्यक्रम में खाद्यान्न सुरक्षा कानून के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का 'गौरवशाली' प्रतिनिधित्व कर रहे सांसद संजय जायसवाल ने तीखे आक्रोश के साथ तर्क रखा- 'यह कैसा कानून बन रहा है? परिवार के हर सदस्य को पांच किलो अनाज देंगे, तो जिसके दस बच्चे होंगे, वह तो 50 किलो अनाज लेने लगेगा। आदर्श है- भाजपा शासित राज्यों का प्रति परिवार 35 किलो अनाज देने का कदम।' निश्चित रूप से भाजपा शासित छत्तीसगढ़ और म.प्र. की अथवा राजस्थान की कांग्रेसी सरकारें पहले से जरूरतमंद गरीब लोगों को 35 किलो अनाज न्यूनतम मूल्य पर दे रही हैं। उनके प्रयासों की सराहना हम करते रहे हैं। लेकिन भाजपा नेताओं की आपत्ति यह भी है कि 'केंद्र सरकार गरीबों को सस्ता या मुफ्त अनाज देने का कानून बनाकर केवल सस्ती लोकप्रियता लूटना चाहती है। कानून अब क्यों बन रहा है?' मैंने जायसवालजी के समक्ष दो विनम्र तर्क रखे- क्या सचमुच भाजपा भविष्य में सत्ता में आने पर 'एक या दो बच्चे बस' की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है? क्या संघ-भाजपा के नेता इंदिरा-संजय गांधी के पदचिह्नों पर चलकर परिवार नियोजन का व्यापक अभियान चलाएंगे? जबकि समाज में शिक्षा और सामाजिक जागरुकता के साथ विभिन्न वर्गों में धीरे-धीरे परिवार को छोटा रखने की बात स्वतः लागू हो रही है। सही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं होने पर जरूरी नहीं कि लोग अधिक बच्चे पैदा करें। दस न सही लेकिन जिस गरीब परिवार में बूढ़े मां-बाप, पति-पत्नी और चार बच्चे हुए तो आठ लोगों के परिवार को थोड़ा अनाज सस्ते दामों पर मिल जाना क्या बुरी बात होगी? जायसवालजी, अपनी पार्टी के सांसदों, विधायकों, पार्षदों, पार्टी पदाधिकारियों और परिवार वाले कट्टर हिंदू धर्माधीशों के बीच सर्वेक्षण करवा कर देख लें, अधिकांश के चार-पांच बच्चे मिल जाएंगे। इनमें दत्तक पुत्र-पुत्रियों-दामादों और अवैध संतानों का हिसाब लगाना शायद कठिन होगा।

दूसरा निवेदन यह कि सूचना का अधिकार दिलाने की पहल राजस्थान में जनसंघ नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री भैंरो सिंह शेखावत ने 1977-78 में कर दी थी। फिर 1980 के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर सूचना के अधिकार का प्रयास थोड़ा आगे बढ़ा। कुछ अन्य राज्यों की पहल एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अभियान चलने के बाद 2004 में बनी सोनिया गांधी-मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार देने का कानून बनाया। मतलब यदि कुछ राज्य सरकारें जनहित में कोई प्रयास करती हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप देने में राजनीतिक गड्ढे क्यों खोदे जाते हैं? पाखंड की पराकाष्ठा यह है कि विभिन्न राजनीतिक दल जनहित के संवेदनशील मुद्दों पर मुंह से विरोध और हाथ से समर्थन करते हैं और सड़क की लड़ाई में लाठियां भांजते हैं।

कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये, गोलमोल नीतियों, प्रशासकीय अदूरदर्शिता एवं गड़बड़ियों की जितनी भर्त्सना की जाए वह कम लगेगी। लेकिन वही पार्टी और सरकार राजनीतिक दलों के चंदों और अरबों की संपत्ति को सूचना के अधिकार के तहत पारदर्शी बनाने के फैसले या सजायाफ्ता सांसद/विधायक की सदस्यता खत्म करने एवं उम्मीदवार न बनाए जाने के न्यायिक फैसले के विरुद्ध कानून लाना चाहती है, तो सदा विरोध में खड़े राजनीतिक दल एकजुट होकर अदालतों एवं जनता को अंगूठा दिखाने के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं?

कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये, गोलमोल नीतियों, प्रशासकीय अदूरदर्शिता एवं गड़बड़ियों की जितनी भर्त्सना की जाए वह कम लगेगी। लेकिन वही पार्टी और सरकार राजनीतिक दलों के चंदों और अरबों की संपत्ति को सूचना के अधिकार के तहत पारदर्शी बनाने के फैसले या सजायाफ्ता सांसद/विधायक की सदस्यता खत्म करने एवं उम्मीदवार न बनाए जाने के न्यायिक फैसले के विरुद्ध कानून लाना चाहती है, तो सदा विरोध में खड़े राजनीतिक दल एकजुट होकर अदालतों एवं जनता को अंगूठा दिखाने के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं? चरित्र और ईमानदारी की बात करने वाले भाजपा व विश्व हिंदू परिषद के नेता बलात्कार, हत्या और अरबों रुपयों की अवैध संपत्ति के आरोपों से घिरे कथित 'बाबाओं-मठाधीशों' के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हैं? गांधी-नेहरू के आदर्शों की बात करने वाले कांग्रेसी नेता भी क्या वर्षों से तांत्रिक स्वामियों, पाखंडी बाबाओं की शरण लेकर उनके साम्राज्य को नहीं बढ़ाते रहे हैं? राजनीतिक दलों की तरह ऐसे पाखंडी तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले स्वामियों-बाबाओं के आश्रमों, सैकड़ों एकड़ जमीन तथा झाड़-फूंक और असली-नकली दवा निर्माता ट्रस्टों को आयकर-संपत्ति कर में पूरी छूट यही सरकारें तो दे रही हैं। फिर अपराध साबित हो जाने के बाद नेताओं का घड़ियाली आंसू बहाना कहां तक उचित समझा जाएगा?

भारतीय राजनीति में विचारधाराओं पर भी दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। पिछले 60 वर्षों के दौरान संघ-भाजपा और समाजवादी नेता कम्युनिस्ट देशों और स्वदेशी कम्युनिस्टों के विरुद्ध हर संभव आवाज उठाते रहे। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका के कानूनों और अधिकारों की दुहाई देते रहे। इन दिनों उन्हें चीन की आर्थिक सफलता 'आदर्श' दिख रही है। हर भाषण, बहस या टी.वी. चैनलों पर चर्चा के दौरान 'हिंदू राष्ट्रवादी' पाठ पढ़ाते हैं- चीन की तरह आर्थिक तरक्की क्यों नहीं हो रही? उनके पास इस बात का क्या जवाब है कि चीन की तरह क्या भारत में कहीं भी जमीन, मकान, गांव, कस्बे को एक आदेश से बदलने की व्यवस्था स्वीकार्य होती है? वहां सड़क, बांध, जंगल, उद्योग, ऊंची से ऊंची इमारतों पर सरकारी फैसलों के विरुद्ध क्या कोई आवाज उठा सकता है? दुनिया के बाजार पर कब्जे के लिए वस्तुओं के सस्ते से सस्ते दाम चीन की तरह क्या केंद्र या राज्य की सरकारें तय कर सकती हैं? सेना और हथियारों के लिए चीन की तरह क्या भारत में सैन्य शिक्षा और भारी बजट की अनिवार्यता हो सकती है? हास्यास्पद बात यह है कि चीनी व्यवस्था की तारीफ करने वाले चीन या पाकिस्तान सीमा पर थोड़ी सी गतिविधि को लेकर ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं, मानों कल ही युद्ध घोषित कर चीन तथा पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है। अपनी गड़बड़ियों अथवा हिंसक गतिविधियों के लिए जेल जाने के नाम पर डरने वाले नेता क्या लंबे समय तक चलने वाले सैन्य संघर्ष या परमाणु युद्ध से विचलित नहीं होंगे? बम धमाकों, हत्याओं के मामलों पर वे बीस-बीस साल कानूनी बचाव में लगे रहते हैं और अंतरराष्ट्रीय तनावों के कुछ हफ्तों में हल की उम्मीद करते हैं। यह कैसा सुविधावादी राजनीतिक खेल है?

alokmehta7@hotmail.com